

कार्यालय दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद
जिला-बालोद (छ.ग.)

पंजीयन क्रमांक-145 / REG. / दुर्ग / दिनांक 01.04.2002

// सी.ए. नियुक्ति हेतु ई-निविदा फार्म //

वर्ष 2026-27

तकनीकी भाग- 01 व 02

ई-निविदा क्रं. 197850, दिनांक 11 / 09 / 2026



प्रबंध संचालक
दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर
कारखाना मर्यादित-बालोद
जिला-बालोद (छ.ग.)

निविदा शुल्क- 1000 / -रु.

कार्यालय दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद
जिला—बालोद (छ.ग.)

ई—निविदा प्रपत्र भाग—1

द्वितीय ई—निविदा क्रमांक / 197850 / 2026

दिनांक 11 / 09 / 2026

वित्तीय वर्ष 2026—27 एवं 2027—28 हेतु **सी.ए. नियुक्ति** के लिए द्वितीय ई—निविदा आमंत्रित की जाती है:—

1. निविदाकार/फर्म का नाम : श्री/मेसर्स
2. पता :
.....
3. ई—निविदा हेतु इच्छुक फर्मों / निविदाकार द्वारा भाग लेने के लिए ई—टेंडर के वेबसाइट में जाकर ई—निविदा हेतु फार्म राशि 1311 /— रु. (1000 /—रु. + 311 /—रु. चिप्स के द्वारा ली जाने वाली सर्विस चार्ज) ऑनलाईन के माध्यम से जमा कर शासकीय ऑनलाईन वेबसाइट (E-Procurement Portal: <http://eproc.cgstate.gov.in>) से फार्म Upload किया जाना है।
4. ई—निविदा फार्म दिनांक **22 / 08 / 2026** रात्रि **08.00 बजे से 11 / 09 / 2026** को संपूर्ण वांछित एवं सत्यापित दस्तावेजों के साथ **दोपहर 01:00 बजे तक** शासकीय ऑनलाईन वेबसाइट (E-Procurement Portal: <http://eproc.cgstate.gov.in>) में अपलोड कर सकते हैं।
5. ई—निविदा दिनांक **11 / 09 / 2026** को **दोपहर 02:00 बजे से** क्रय समिति/निविदाकारों के समक्ष खोला जाएगा जिसमें निविदाकार/उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
6. ई.एम.डी. राशि — निविदाकार को निविदा फार्म के साथ ही ई.एम.डी. हेतु निविदा राशि का 3% कारखाने के खाते में RTGS के माध्यम से खाता क्रमांक **31360100006799**, IFSC Code- **BARB0BALODX** बैंक ऑफ बडौदा बालोद में **दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद** के नाम से जमा करना होगा। RTGS/NEFT के माध्यम से ही ई.एम.डी. राशि जमा करना अनिवार्य होगा, ई.एम.डी. की राशि कारखाने के खाते में जमा नहीं होने पर आपकी निविदा निरस्त मानी जाएगी।

प्रबंध संचालक
दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना
मर्यादित—बालोद
जिला—बालोद (छ.ग.)

कार्यालय दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद
जिला-बालोद (छ.ग.)
ई-निविदा प्रपत्र भाग-2

Main Portal: <http://eproc.cgstate.gov.in>

द्वितीय ई-निविदा क्रमांक / 197850 / 2026

दिनांक 11 / 09 / 2026

वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 हेतु सी.ए. नियुक्ति के लिए ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। ई-निविदा हेतु कार्य करने के इच्छुक निविदाकार/फर्म निविदा में भाग लेने के लिए <http://eproc.cgstate.gov.in/> पर निविदाओं की अन्य सभी शर्त और योग्यता के लिए मानदंड आदि को निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट किया गया है।

1. निविदाकार/फर्म का नाम
2. पता
3. मोबाइल नंबर
4. ई-मेल आई.डी.
5. जी.एस.टी. नंबर एवं पैन नं.
.....
6. आयकर रिटर्न वर्ष 2023-24 (हां / नहीं)
वर्ष 2024-25 (हां / नहीं)
7. पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ.ग. द्वारा अंकेक्षक पैनल हेतु जारी आदेश पत्र- क्रमांक.....
दिनांक.....
8. सी.ए. प्रमाण पत्र क्रमांकदिनांक.....
9. ई.एम.डी. जमा राशि
शब्दों में
10. आरटीजीएस नंबर एवं बैंक

सत्यनिष्ठ वचन

(निविदाकार द्वारा लेटर हेड पर भरा जाना है)

द्वितीय ई-निविदा सूचना क्रमांक-197850/DMSKM/P.O./BALOD

दिनांक-11/09/2026

मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सही और सत्य है जिनके गलत पाये जाने पर कारखाना प्रबंधन द्वारा किसी भी स्तर पर निविदा/कार्य आदेश निरस्त कर सकती है एवं मैं/फर्म का नाम छत्तीसगढ़ के किसी भी शक्कर कारखाने के ब्लेक लिस्ट (काली सूची) में नहीं है। उक्त जानकारी गलत होने पर कारखाना प्रबंधन को मुझे/फर्म को निविदा से अपात्र करने का अधिकार होगा। शक्कर कारखाना द्वारा निर्धारित नियम/शर्त/प्रक्रियाओं को पढ़ और समझ लिया है जो मुझे मान्य है।

निविदाकार का हस्ताक्षर

दिनांक

नाम.....

पता.....

.....

फर्म का मुहर

अनुबंध की नियम एवं शर्तें—

1. निविदा प्रपत्र तीन लिफाफा में जमा करना अनिवार्य है। 3% ई.एम.डी. राशि संबंधी बिड—एक में, तकनीकी बिड—दो एवं व्यावसायिक बिड—तीन ।
2. निविदाकार को निविदाफार्म के तकनीकी भाग—दो को भरकर, हस्ताक्षर व सील मोहर के साथ जी.एस.टी रजिस्ट्रेशन (पंजीकृत होने की दशा में) प्रमाण पत्र की छायाप्रति, पैन नंबर की छायाप्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा।
3. ई—निविदा तकनीकी बिड—2 में निविदा के शर्त अनुसार मांगे गये सभी डाक्यूमेन्ट को अपलोड किया जाना होगा एवं व्यावसायिक बिड—3 में दिये गये स्थान पर सिर्फ दर प्रस्तुत किया जाना होगा।
4. सर्विस शुल्क के अतिरिक्त जी.एस.टी. का भुगतान (पंजीकृत होने की दशा में) फर्म/प्रोपराईटर को संस्था द्वारा भुगतान किया जाएगा।
5. निविदाकार द्वारा गत दो वित्तीय वर्षों का आयकर रिटर्न जमा (अपलोड) करना अनिवार्य है।
6. फर्म को पंजीयक सहकारी संस्थाएं छ.ग. सोसायटी अधिनियम के तहत वर्तमान अंकेक्षक पैनल की जारी सूची में सूचीबद्ध होना एवं पंजीकृत होना अनिवार्य है।
7. चार्टर्ड एकाउंटेंट एसोशिएसन से जारी सी.ए. प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
8. सी.ए. अधिनियम एवं लॉ अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार का दोषी न हो।
9. पंजीकृत फर्म का स्थान छ.ग. राज्य का होना अनिवार्य है।
10. निविदा में स्वीकृत दर के अतिरिक्त अन्य शुल्क (रहना, खाना एवं यात्रा) किसी प्रकार का देय नहीं होगा।
11. टी.डी.एस. एवं जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती नियमानुसार की जावेगी।
12. यदि कोई फर्म संस्था में पूर्व से कार्यरत है अर्थात् अपनी सामग्री व सेवा संस्था में प्रदाय करता है तो संस्था द्वारा भुगतान किए गए सम्पूर्ण देयकों (बिल) का जीएसटी इनपुट क्रेडिट संस्था को प्राप्त न हुआ हो तो जीएसटी रिटर्न संबंधी शर्तों के अनुपालन में चुक करने, मानकर निविदा में अपात्र किया जावेगा एवं भविष्य में कालीसूची में शामिल भी किया जा सकता है।
13. संस्था या प्रदाता का पेन कार्ड, आधार कार्ड, जी.एस.टी.(पंजीकृत होने की दशा में) का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
14. निविदा दर के अनुसार सर्विस कार्य में कटौती की जा सकती है। सभी कार्यों के लिए कार्यादेश जारी करने के लिए कारखाना बाध्य नहीं है।
15. निविदाकार को टीडीएस एवं जीएसटी टीडीएस रिटर्न प्रत्येक तिमाही में जमा कर समस्त दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
16. फर्म/ठेकेदार को कारखाना प्रबंधन के निर्देशानुसार कार्य संपन्न करना होगा। लापरवाही/अनुशासन का पालन नहीं किये जाने पर कार्य से पृथक किया जावेगा।
17. संतोषजनक कार्य नहीं होने की स्थिति में किसी भी समय कार्य आदेश रद्द किया जा सकता है।
18. कारखाना प्रबंधन उपर्युक्त के अलावा भी नियम/शर्तें लागू कर सकेगा। जो ठेकेदार को पालन करना अनिवार्य होगा।

19. निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने अथवा किसी भी प्रकार से विवाद की स्थिति में कारखाना प्रबंधन (कमेटी) का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा।
20. निविदा में एल-1 (न्यूनतम दर) प्राप्त होने पर क्रय कमेटी द्वारा संस्था हित में आवश्यकतानुसार निगोशियेसन किये जाने के निर्णय पश्चात् एल-1 दर प्राप्त फर्म/निविदाकार को निगोशियेसन दर प्रस्तुत करने हेतु प्राथमिकता देते हुऐ लेख किया जावेगा। उनके द्वारा यदि समयावधि में निगोशियेसन दर प्रस्तुत नहीं किया जाता या असमर्थता व्यक्त किया जाता है तो उस स्थिति में निविदा में भाग लेने वाले शेष फर्मों/निविदाकारों को निगोशियेसन दर प्रस्तुत करने के लिए अवसर प्रदान किया जावेगा। शेष फर्मों/निविदाकारों में से जिस फर्म/निविदाकार के द्वारा न्यूनतम निगोशियेसन दर प्रस्तुत किया जायेगा वह वास्तविक दर मान्य होगा एवं उस फर्म/निविदाकार को कार्य आदेश जारी किया जावेगा।
21. यदि फर्म/निविदाकार द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं नहीं किया जाता है तो शेष फर्मों/निविदाकारों को वास्तविक न्यूनतम दर पर कार्य आदेश जारी किया जा सकेगा।
22. निविदाकार को छत्तीसगढ़ के किसी भी शक्कर कारखाने के ब्लेक लिस्ट (काली सूची) में शामिल होने पर निविदा में अपात्र किया जाएगा। निविदाकार को उक्त संबंध में निविदा फार्म में दर्शित सत्यनिष्ठ वचन को भरकर हस्ताक्षर व मुहर सहित तकनीकी भाग के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।

घोषणा

कारखाना द्वारा उपरोक्तानुसार आमंत्रित निविदा में उल्लेखित नियम एवं शर्तें मेरे/हमारे द्वारा पढ़/समझ लिया गया है, जो मुझे मान्य है। अतः इस निविदा की व्यावसायिक भाग में मेरे द्वारा दर प्रस्तुत किया जा रहा है।

दिनांक.....

निविदाकार का नाम
हस्ताक्षर एवं सील

विवरण

S.No.	Department	SOR	Year	Itam Code	Description/Specification of material	Unit	Rate	Qty Req.	Amount
1	DMSSK	NS	2026	AU1	1) Statutory Audit 2026-27 & 2027-28 2) Income Tax Audit & Return 2026-27 & 2027-28 3) GST Annual Return (GSTR9 & GSTR9C) 2026-27 & 2027-28	YEAR		1	